

मूल वाद में डिक्री  
(आदेप 20 के नियम 6 और 7)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उत्नवान :

वादीगण

बाबूराम किशनाराम मनोहरलाल भीखाराम पि० मंगलाराम कौम विश्‍नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील  
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. मंगलाराम पुत्र धुकलाराम
2. हणुताराम पुत्र धुकलाराम
3. सुरताराम पुत्र धुकलाराम
4. हीराराम पुत्र धुकलाराम
5. केशाराम पुत्र धुकलाराम
6. रामचन्द्र पुत्र मुगला जाति विश्‍नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
7. मैनेजर एस.बी.आई.शाखा मैन बाजार गुड़ामालानी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88,188 RTA

मुकदमा नम्बर :- 55/2021

निर्णय दिनांक :- 10.11.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय मौखावा खुर्द)

वादीगण की ओर से वादीगण स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-  
वादग्रस्त आराजी सरजद मौजा मौखावा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 8/1, 58/1, 68, 70 रकबा कमशः 45-09, 44-09, 0-09, 41-02 बीघा एवं मौजा नई खडाली के खेत खसरा नम्बर 49 रकबा 132-00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम की हिस्से की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

पंचायत समिति गुड़ामालानी/आदेस

दिनांक : 15/11/21

क्रमांक: वाचक/2021/ 963

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

पंचायत समिति गुड़ामालानी/आदेस